संख्या: 348 / III(3)07–903(ए.डी.बी.)2006

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग- 3 देहरादून: दिनांक 21 अगस्त, 2007

विषय: एशियन डेवलपमेन्ट बैंक पोषित उत्तराखण्ड सड़क कार्यक्रम (USRIP) के फेज–I के अन्तर्गत चयनित 20 (बीस) मोटर मार्गों हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0 306/113(8)याता/ उत्तरांचल–2006 दिनांक 23.11.2006 तथा पत्र सं0 409/113(10)याता/उ0/07 दिनांक 24.07.2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एशियन डेवलपमेन्ट बैंक पोषित उत्तराखण्ड सड़क कार्यक्रम (USRIP) के फेज–I के अन्तर्गत चयनित मोटर मार्गों के निर्माण एवं रखरखाव हेतु [illegible] रुपये 25[illegible] करोड़ के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त के परीक्षणोपरान्त [illegible] पायी गयी रुपये 23[illegible]37 करोड़ (रुपये दो अरब, बतीस करोड़, सैंतीस लाख मात्र) [illegible] प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2007–08 में रुपये 18.00 करोड़ (रुपये अठारह करोड़ मात्र) की धनराशि को शासनादेश संख्या [illegible]/III(3)07-903(ए.डी.बी.)/05 दिनांक 13.07.2007 के द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गई रुपये 25.00 करोड़ की धनराशि से आहरित कर संलग्न विवरणानुसार व्यय किये जाने की [illegible] महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण केवल आगणन प्रस्तावित गणना हेतु अनुबन्ध है अतः कार्य का आगणन जब विस्तृत तकनीकी स्वीकृति हेतु गठित किया जायेगा, तब यह अधीक्षण अभियन्ता का यह पूर्ण उत्तरदायित्व होगा कि आगणन में ली गई सभी दरें, दूरियाँ एवं क्वायरी शत प्रतिशत सही है, अपने स्वीकृत तकनीकी नोट में यह प्रमाण पत्र देना होगा, तथा उसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध करानी होगी।

3. आगणन में ली गई सभी दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है तथा उन दरों को बाजार भाव से अथवा रेट कान्ट्रेक्ट से लिया गया है तो उसकी स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी उसी के अनुसार आगणन में दरें अनुमन्य होंगी।

POCO
SHOT ON POCO F1 2020/2/10 16:16

Scanned by CamScanner

4. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण/सर्वे कर विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को किसी भी दशा में प्रारम्भ न कराया जाय।
5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृति नार्मस है, स्वीकृति नार्मस से अधिक व्यय कदापि न किया जाय इसका पूर्ण उत्तरदायी निर्माण इकाई का होगा तथा यह भी ध्यान रहे कि जिस मद हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, वह राशि उसी मद में की जाय एक मद की स्वीकृत राशि दूसरे मद में न की जाय यदि आवश्यकता हुई तो विशेष परिस्थितियों में शासन की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त अनुबन्ध की औपचारिकताऐं एवं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये लोक निर्माण विभाग एवं जिन विभागों के विशिष्टियों के आधार पर विस्तृत आगणन गठित किया जाय, उन्हीं विशिष्टियों के आधार पर निर्माण कार्य को सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. एक मुश्त प्राविधानों का जो प्राविधान आगणन में जिस मद हेतु किया गया है। नियमानुसार कार्य प्रारम्भ से पूर्व विस्तृत आगणन प्रस्ताव गठित कर सक्षम प्राधिकारी से उसी मद हेतु प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
8. निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर पर्चेज नियमों का पालन कडाई से किया जाय तथा निर्माण सामग्री का नियमानुसार किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग कराना आवश्यक होगा एवं उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाई जाय तथा प्रत्येक माह सेम्पिल टैस्टिंग की आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाय।
9. कार्य सम्पादित कराते समय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश के शासनादेश सं0 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.06.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से पालन करना सुनिश्चित करें।
10. नियमानुसार स्थल पर साईट आर्डर बुक, प्राविधिक स्वीकृति आगणन की सत्य प्रति एवं विस्तृत मानचित्र अवश्य हर समय उपलब्ध रहें तथा जिस भी अधिकारी द्वारा स्थल का निरीक्षण हो उसमें दिये गये निर्देश तथा आगे दिये गये जाने वाले कार्यों के लिये साईट आर्डर बुक पर अवश्य इंगित किया जाय ताकि उच्च अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण के समय साईट आर्डर बुक को प्रस्तुत किया जाय तथा साईट आर्डर बुक में पूर्व में जो निर्देश दिये गये थे उनकी पालन आख्या हुई अथवा नहीं। इसकी पुष्टि भी इंगित की जाय। यदि उच्च अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाता है, तो उसे अपनी संस्तुति सहित साईट आर्डर बुक में इंगित किया करें, तथा यदि कार्य किन्ही कारणों से स्वीकृत लागत से सम्पादित नहीं हो सकता है तथा कार्य का पुनरीक्षित आगणन गठित करना आवश्यक हो तो पुनरीक्षित आगणन के साथ साईट आर्डर बुक की प्रति संलग्न की जाय। यह सभी कार्यों हेतु लागू होगी, इसके साथ ही कार्य चाहे उत्तराखण्ड राज्य से किसी भी मद में स्वीकृत हो या भारत सरकार तथा अन्य श्रोतों से स्वीकृत हो यह नियम सभी पर लागू होगा।
11. स्थल पर किसी भी प्रकार की नीव खुदान की जाती है जैसे भवन निर्माण हेतु, सेतु निर्माण हेतु, डाम से सम्बन्धित, नलकूप, ट्रौली आदि की समस्त की नीव संरचना का कार्य तभी प्रारम्भ किया जाना होगा जबकि इसमें भूकम्परोधी का समस्त प्राविधान एवं भू–गर्भवेता द्वारा निश्चित की गई भू–भारता का समावेश किया गया जाना आवश्यक है।

POCO
SHOT ON POCO F1
2020/2/10 16:17

Scanned by CamScanner

इस हेतु शासन से कम से कम अधिशासी अभियन्ता तक के अधिकारी का कार्य प्रारम्भ करते समय सभी का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है यदि उनमें से किसी भी प्रकार की कमी रह जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व अधिशासी अभियन्ता का होगा।

12. समस्त सभी सीमेन्ट के कार्यों का सम्पादन विभाग में कार्यरत कम से कम सहायक अभियन्ता स्तर का होगा, सहायक अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह हर समय सीमेन्ट की स्टाकिंग की गुणवत्ता का ध्यान रखेंगे तथा इसकी पुष्टि अपने साईट आर्डर बुक में इंगित करते रहेंगे।

13. कार्य की गुणवत्ता उत्कृष्ट हो का पूर्ण उत्तरदायित्व अधीक्षण अभियन्ता का होगा तथा जिन विभागों में अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी नियुक्त न हो तो इस दशा में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को स्थल निरीक्षण के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, जिसका प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराना होगा।

14. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अ.शा. संख्याः 347/XXVII(2)/2007 दिनांक 31 अगस्त, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

348 (1)/ III(3)07 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

...ालेखाकार (लेखाकार एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, इलाहाबाद।
...युक्त गढवाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
...फ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
...र सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
...ाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
...र अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, पौडी/अल्मोड़ा।
...क्षण अभियंता, 24वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
... अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
... निर्माण अनुभाग-2/गार्ड बुक।
...ीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

POCO
SHOT ON POCO F1
2020/2/10 16:17
Scanned by CamScanner

शासनादेश संख्या 348 / III(3)/07- 903(ए.डी.बी.)/2006 दिनांक 31 अगस्त, 2007 का संलग्नक

क्र०सं०	जनपद	सड़क का नाम	लम्बाई	धनराशि	धनराशि करोड़ रुपये में: टी०ए०सी० मिशन से औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2007–08 में व्यय किये जाने वाली धनराशि
1	Uttarrkashi, Dehradun	Kuwa-Kafnol Rarhi	47.546	12.20	11.37	1.0
		Naugaon-Purola	17.888	4.68	4.35	0.2
		Kalsi-Chakrata	41.565	13.99	13.00	1.0
2	Chamoli. Rudraprayag	Nandprayag-Ghat Motor Road	18.493	6.36	5.90	0.2
		Rudraprayag-Pokhri-Karanprayag	14.512	5.79	5.26	0.2
		Jhakoli-Guptkashi Motor Road	13.10	5.82	5.04	0.2
	Udham Singh Nagar	Dhakia Gulabo-Paiga-Mukundpur	25.00	17.34	15.37	1.0
		Jaitpur-Dhanori	10.80	8.19	7.58	0.5
		Zafarpur-Gularbhoj	13.80	7.89	7.19	0.5
	Nainital, Almora	Ranikhet-Mohan	70.20	29.26	26.84	2.0
		Betalghat-Bhatrojkhan	16.70	4.46	4.32	0.2
		Nathuakhan-Suyalbad	29.00	10.77	9.89	0.5
	Almora, Bageshwar	Almora-Bageshwar	72.90	38.08	35.13	3.0
	Almora, Bageshwar Pithoragarh	Barechina-Sheraghat	42.30	22.09	20.39	1.7
		Udiyari Bend-Kanda	25.70	13.39	12.48	1.0
		Udiyari Bend-Thal	22.00	14.64	13.59	1.0
	Champawat	Lohaghat-Chaumel	7.50	2.36	2.15	0.2
		Thuligarh-Bhairav Mandir	6.30	9.99	9.38	1.0
		KaKrali-Thuligarh	13.00	21.04	19.79	2.0
		Pulla-Chamdeol-Shiling	6.50	3.51	3.35	0.
	Total			251.85	232.37	18.0

(रुपये अठ्ठारह करोड मात्र)

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner